संख्या : 11/2020/बी-1-686/दस-2020-231/2020

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 03 दिसम्बर, 2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट में प्रावधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनाँक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनाँक 07 अप्रैल, 2020 द्वारा जारी किये गये हैं । उक्त के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनाँक 11 अप्रैल, 2020, दिनाँक 24 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 जारी किये गये हैं ।

2- शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-4 में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है :-

> "केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ पूर्ववत् वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही जारी की जायेंगी ।"

3- कतिपय विभागों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तर में दी गयी व्यवस्था के कारण वित्तीय स्वीकृतियों के निर्गत किये जाने में समय लग रहा है । अतः सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-4 को निम्नवत् संशोधित समझा जाय :-

> "केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि की पुष्टि वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता एवं वित्त आयोग) अनुभाग से कराने के उपरान्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वयं जारी की जायेंगी ।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए । उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य" के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 11/2020/बी-1-686(1)/दस-2020-231/2020, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।